झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
षोडश (मानसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 25.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री फूलचन्द मंडल स0वि0स0	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद तथा इसके अंगिभूत महाविद्यालयों में संथाली भाषा व ओलचिकी लिपि, खोरठा, कुरमाली भाषा की पढ़ाई सुनिश्चित होने से यहाँ के स्थानीय छात्र-छात्राओं को काफी सुविधा होगी। अतः इस अति महत्वपूर्ण विषय के समाधान हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
02-	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता स0वि0स0	पलामू जिला अन्तर्गत हरिहरगंज प्रखण्ड में पदस्थापित तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्रीमती संचिता भक्त तथा तत्कालीन कार्यकारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के विरूद्ध 11 (ग्यारह करोड़) रूपये की वित्तीय अनियमितता आरोंप के विरूद्ध डालटनगंज शहर थाना काण्ड संख्या- 0398/11 दिनांक- 30/11/2018 भ0द0वि0 धारा- 406/409/420 एवं 120-B के अन्तर्गत दर्ज होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नही होने से भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है जो कि लोकतंत्र में हितकर नहीं है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		अतः दोषी पदाधिकारी को अविलम्ब गिरफ्तार करने का आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी स0वि0स0 श्री शिवशंकर उराँव स0वि0स0 श्री निर्भय कुमार शाहाबादी स0वि0स0	गढ़वा जिला के एक मात्र महिला महाविद्यालय (गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय) में सरकार के स्तर से गठित कमिटि के द्वारा प्रबंधन को दोषी करार दिये जाने के बाद से कॉलेज में कार्यरत करीब 100 शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पिछले दो वर्षो से अनुदान की राशि बंद है, फलस्वरुप शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है एवं पठन-पाठन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, अनुदान की राशि नही मिलने से शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मी आर्थिक संकट से जुझ रहे हैं आलम यह है कि बीमार शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मी ना तो अपना इलाज करा पा रहें है ना ही अपना घर परिवार चला पा रहे हैं। अतः गढ़वा जिला के एक मात्र महिला महाविद्यालय (गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय) के दोषी प्रबंधन के उपर कार्रवाई करते हुए कॉलेज में कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों का अनुदान की राशि भुगतान कराने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
04-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	राज्य में उच्च तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के उच्च शिक्षा संकल्प ज्ञापांक- 4/वि 1-135/2016- 516, दिनांक- 02.03.2017 के आलोक में लगभग 850 संविदा सहायक प्राध्यापक सभी विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालय में विगत दो वर्षो से सेवा अर्पित कर रहे हैं। घंटी आधारित मानदेय होने के कारण प्रति घंटी मात्र 600/- रूपये दिया जा रहा है यहाँ तक	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

01.	02.	03.	04.
		की अतिथि शिक्षकों को भी मानदेय प्रति घंटी ही दिया जा रहा है जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक- संख्या- F 25-1/2018 (PS/MISC), दिनांक- 28.01.2019 के आलोक में उनका मानदेय 50,000/- रूपया प्रति माह या 1500/- रूपये प्रति घंटी अनुमान्य होता है। अनुबंधित सहायक प्राध्यापक से सरकार अन्य कार्य भी शिक्षकों से लेती है इसके कारण वे कक्षा नहीं ले पाते और उन्हें मानदेय नहीं मिलता। विभिन्न राज्यों मध्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश आदि में एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका अदा करते हुए अपने राज्यों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अतिभार दिया है और राज्य लोक सेवा आयोग से प्रकाशित विज्ञापनों में प्राथमिकता देते हुए उनकी सेवा को नियमित की गई है। विदित हो कि झारखण्ड में भी झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक का विज्ञापन वर्ष 2018 में प्रकाशित की गई है किन्तु उक्त विज्ञापनों में हम सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के न्यूनतम अर्हता एवं मापदंडों का पालन करने वाले सभी कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों को कोई भी अतिभार या प्राथमिकता नहीं दी गई है। अतः झारखण्ड राज्य में कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों को राज्य सरकार, झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्रकाशित विज्ञापनों में 50 प्रतिशत अतिभार देते हुए सभी संविदा/अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को प्राथमिकता देते हुए उनकी सेवा को नियमित एवं स्थायी करने की ओर सरकार का ध्यानाआकृष्ट करता हूँ। या उनका मानदेय 50000/- रूपया प्रतिमाह किया जाए।	

05–	श्री अरुप चटर्जी स0वि0स0 श्री राजकुमार यादव स0वि0स0	ज्ञातव्य है कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के लाभुक इस योजना के तहत् बेहतर इलाज नहीं करा पा रहे है, क्योंकि राज्य व देश के नाम मात्र सूचीबद्ध अस्पतालों में ही इस योजना के तहत् कैंसर, लिवर, किडनी, ब्रैन हेमरेज, दिल सम्बन्धी मधुमेह जैसे असाध्य बीमारियों का इलाज हो पाता है बाकी के अस्पताल में नहीं होता है, जबकि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् यह व्यवस्था अत्यंत ही व्यवस्थित था परन्तु वर्त्तमान समय में इस योजना में आपेक्षित राशि का आवंटन नही हो पा रहा है, और न ही यह स्पष्ट हो पा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन–कौन से असाध्य रोगों का इलाज राज्य व देश के कौन–कौन से सूचीबद्ध अस्पतालों में किया जाय या फिर वैकल्पीक व्यवस्था के तहत् ही मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में कौन–कौन से बीमारियों का इलाज करवाया जाय और इसका भुगतान का प्रक्रिया कैसा होगा। अतः मैं आयुष्मान भारत योजना के साथ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के उक्त वर्णित विषयों के औचित्य पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

रॉंची,
दिनांक– 25 जुलाई, 2019 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-11/2019-.....1679...../वि0 स0, राँची, दिनांक-24/07/19

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/19

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-11/2019-.....1679...../वि0 स0, राँची, दिनांक-24/07/19

प्रतिः- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/7/19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

24.07.19